नई दुनिया 21/8/2019

उच्च शिक्षण संस्थानों को प्लास्टिक बैग व उत्पाद मुक्त करने के आदेश

इंदौर (आरएनएन)। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी समेत अन्य उ%च शिक्षण संस्थानों व देशभर की यूनिवर्सिटी में प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक से बने उत्पादों का प्रयोग न करने का आदेश दिया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने यूनिवर्सिटी से प्लास्टिक की बजाय लकड़ी या कृषि अपशिष्ट से तैयार उत्पादों का प्रयोग करने को कहा है। साथ ही पर्यावरण बचाने की मुहिम से युवाओं को जोड़ने का आग्रह किया है। यूजीसी की ओर से इस संबंध में कुलपतियों को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन व वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। पीने के पानी की कमी हो रही है। पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक की चीजों का प्रयोग कम से कम करना होगा। यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में लकड़ी, कागज या कृषि अपशिष्ट से तैयार कप, प्लेट आदि के प्रयोग पर जोर दें, ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। यूनिवर्सिटी को इस संबंध में अपने यहां नोटिस बोर्ड, क्लास रूम आदि में दिशा-निर्देश चिंहित करने को कहा गया है।

नैक की तैयारी कैसे करें सीखाएंगे वर्कशॉप में

यूनिवर्सिटी और नैक के एक्सपर्ट 26 अगस्त को एक वर्कशॉप आयोजित करने जा रहे हैं। शहरभर के तमाम कॉलेजों में नैक का दौरा होना है। नैक के क्या पैरामीटर है और अपने आप को कॉलेज कैसे तैयार कर सकते हैं आदि बातों से अवगत करवाने के उद्देश्य से यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप आयोजित की गई है। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों से कहा है कि वे अपने यहां से एक-एक व्यक्ति को इस वर्कशॉप में शामिल करें ताकि नैक के पैरामीटर व अन्य जानकारी ले सके।

मेरिट आधार पर काउंसलिंग का सफल आयोजन होने पर कुलपति का किया सम्मान

इंदौर। मप्र कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने मंगलवार को आरएनटी मार्ग प्रशासनिक भवन देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी पहुंचकर कुलपति डॉ. रेणु जैन और प्रभारी कुलसचिव अनिल शर्मा का सम्मान किया।

कुलपति और कुलसचिव को प्रशंसा पत्र और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। दरअसल यूनिवर्सिटी में धारा 52 लगाए जाने के बाद और नवनिर्वाचित कुलपति डॉ. जैन व कुलसचिव अनिल शर्मा के सफल नेतृत्व में पारदर्शिता के आधार पर मेरिट आधार की काउंसलिंग का सफल आयोजन किए जाने पर संगठन के सदस्यों ने सम्मान किया। इससे पहले यूनिवर्सिटी की सीईटी प्रवेश परीक्षा अधिकारी, प्रोफेसर, रीडर व विभागाध्यक्ष की लापरवाही के चलते निरस्त के बाद यूनिवर्सिटी में प्रदेश के मुख्यमंत्री व उ%च शिक्षा मंत्री ने धारा 52 लगाई। एक माह संकटकालीन यूनिवर्सिटी स्तर पर संघर्ष नेतृत्व प्रभारी कुलसचिव ने किया। राजभवन व प्रदेश शासन द्वारा संयुक्त निर्णय लेते हुए कुलपति का पद डॉ. रेणु जैन को दिया गया।